ISSN: 2456–5474 RNI No.UPBIL/2016/68367 Vol-3* Issue-3*April- 2018
Innovation The Research Concept

अन्ना हजारे और 21वीं सदी में उनके आन्दोलन

सारांश

स्वतंत्रता के बाद हमारे देश को भ्रष्टाचार के राक्षस ने पूरी तरह से घेरा हुआ है। दिन ब दिन बढ़ते भ्रष्टाचार के कारण सामान्य लोगों का जीना मुश्किल हो रहा है। एक तरफ हम देश को महासत्ता बनाने का सपना देख रहे है। लेकिन दूसरी तरफ विकास को रोकने वाले भ्रष्टाचार के खिलाफ कुछ भी नहीं कर रहे हैं। देश में किसी भी पार्टी की सत्ता क्यों न हो, लेकिन भ्रष्टाचार के बारे में कोई भी सरकार गम्भीर नहीं है यह वास्तविकता है। ऐसी स्थिति में कैसे होगा भ्रष्टाचार मुक्त भारत? यह एक बड़ा प्रश्न है। सक्षम लोकपाल लागू करना, किसानों के लिए राहत दिलाने वाली व्यवस्था निर्माण करना, चुनावी प्रक्रिया में सुधार करना और भ्रष्टाचार मुक्त भारत निर्माण करने के लिए प्राथमिकता देना इस बारे में हर सरकार अपने घोषणापत्र में आश्वासन देती है लेकिन अभी तक इनमें से एक भी आश्वासन की पूर्ति नहीं हुई। यह देश की जनता के साथ धोखाधड़ी है और अन्ना हजारे के प्रयास हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं।

मुख्य शब्द : शुद्ध आचार, शुद्ध विचार, निष्कलंक जीवन, त्याग, उत्तम चरित्र, स्वायत्ता, लोकपाल कानून

वैशाली बडोलिया
व्याख्याता,
राजनीति विज्ञान विभाग,
स्वामी विवेकानन्द महाविद्यालय,
कोटा,राजस्थान

प्रस्तावना

महाराष्ट्र के सुप्रसिद्ध समाजसेवी किशन बाबूराव हजारे जिन्हें लोग प्यार से अन्ना हजारे के नाम से जानते हैं, जिन्होंने गांधी जी के सत्याग्रह का अवलम्बन कर ही स्वच्छ व पारदर्शक प्रशासन व भ्रष्टाचार मुक्त समाज के लिए आदर्श गांव निर्माण सूचना का अधिकार, लोकपाल व लोकायुक्त की स्थापना जैसी गम्भीर समस्याओं के प्रति सशक्त अहिंसात्मक आन्दोलनात्मक आह्वान कर सम्पूर्ण देश की जनता का ध्यान इस ओर आकृष्ट किया है। अपने सामाजिक जीवन की शुरूआत के अनुभव के बारे में अन्ना हजारे ने कहा है कि ''स्वामी विवेकानन्द की पुस्तक ने मुझे समझाया कि जीवन सेवा के लिए है, सेवा में आनन्द है, सेवा में ही जीवन की सफलता है। जीवन से लेकर मृत्यु तक जो भागदौड़ है, वह केवल आनन्द प्राप्ति के लिए है और उस आनन्द को प्राप्त करने के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं है वह हमारे अन्दर ही मिलेगा, सेवा द्वारा।''[1] इस प्रकार उन्होंने भी अपने जीवन के पांच सूत्र स्वीकार किये, जिन पर चलना हर व्यक्ति के लिए आवश्यक बताया है[2]–(1) शुद्ध आचार (2) शुद्ध विचार (3) त्याग (4) निष्कलंक जीवन (5) अपमान सहने की शक्ति

अध्ययन के उद्देश्य

गांधीवादी प्रतिनिधि अन्ना हजारे के 21वीं सदी में किये गए सत्याग्रह आन्दोलन के ''कारण जनसमर्थन व सीमाओं का अध्ययन करना।''

अपने इन्हीं आदर्शों से प्रेरित अन्ना हजारे ने अपने सार्वजनिक जीवन की शुरूआत अपने गांव रालेगण सिद्धि से की, फिर सूचना का अधिकार और फिर लोकपाल लोकायुक्त कानून को लेकर 2011 में भ्रष्टाचार के विरूद्ध विशाल जनआन्दोलन के प्रणेता बन गए। इसमें मिला जनसमर्थन व उनका नेतृत्व उन्हें लोकनायक अन्ना हजारे व देश के दूसरे गांधी की श्रेणी में ले आया। देश का कोई प्रदेश नगर या गांव नहीं जहां से अन्ना हजारे को पूरा पूरा समर्थन न मिला हो। इस बारे में अन्ना ने कहा कि सभी जाति, धर्म और राज्य के लोगों ने एकजुट होकर इस आंदोलन में विश्व को अपनी एकता दिखाई है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि युवाओं ने आगे आकर नई उम्मीद जगाई हैं। युवाशक्ति राष्ट्रशक्ति है और लोकपाल विधेयक पारित कराने के लिए उन्हें अभी लम्बी लड़ाई लड़नी है।''[3] अन्ना हजारे इस बात को भी स्पष्ट कर चुके हैं कि वे सत्ता परिवर्तन के लिए नहीं बल्कि व्यवस्था परिवर्तन के लिए मैदान–ए–जंग में उतरे हैं। सरकार कोई भी हो या किसी भी पार्टी की हो, उससे अन्ना हजारे का कुछ लेना देना नहीं, उन्हें तो देश की भ्रष्ट तथा बिगड़ चुकी व्यवस्था में

परिवर्तन करना है, यही उनका लक्ष्य है।[4] उनकी कार्यपद्धति पूर्णतयाः सत्याग्रह द्वारा सुधार पर आधारित है और जनता से भी उन्होंने यही अपील की थी कि उपवास के दौरान जनता अपना हौंसला न टूटने दें, शांति बनाए रखें, और जरूरत पड़ने पर जेल जाने को भी तैयार रहे। अतः जनता ने उन पर पूरा विश्वास बताते हुए उनका समर्थन किया और अन्ना ने जनता के सहयोग से 27 अगस्त 2011 में 13 दिन का उपवास किया।

शुरू में सरकार ने इस आंदोलन को गंभीरता से नहीं लिया। इसलिए देश से करोड़ो की संख्या में जनता आंदोलन में शामिल हो गयी। हर रोज आंदोलन बढ़ता गया। जनता रास्ते पर उतर आयी। फिर सरकार जाग गयी और संसद के विशेष सत्र में लोकपाल पर चर्चा हुई। इस चर्चा में विरोधी पार्टी के सदस्यों ने भी हिस्सा लेकर विरोधी पक्ष की भूमिका निभाकर लोकपाल और आन्दोलन को समर्थन दिया था। बड़ी बहस के बाद लोकपाल के बारे में संसद में सर्व सम्मति से बिल पास किया। आखिर 27 अगस्त को मा. प्रधानमंत्री का अन्ना को लिखित आश्वासन देने के बाद उन्होंने अपना रामलीला मैदान में चल रहा 13 दिन का अनशन स्थगित किया था। लेकिन फिर भी सरकार ने अपना वादा नहीं निभाया। इसलिए 27 दिसंबर 2011 को अन्ना को तीसरी बार मुंबई में तीन दिन का अनशन करना पड़ा। फिर भी सरकार ने कार्यवाही नहीं की। यह तो संसद की अवमानना ही है। अंत में अन्ना ने 10 दिसम्बर 2013 को ठाणे की लोकसभा चुनाव के पहले अन्ना के गांव रालेगण सिद्धी में 'करो या मरो' आंदोलन शुरू किया। इस बार सरकार को मानना पड़ा। अखिर 17 दिसम्बर को राज्य सभा में और 18 दिसम्बर को लोकसभा में लोकपाल बिल बहुमत से पास हो गया। उसके बाद अन्ना ने रालेगणसिद्धी में चल रहा उनका 9 दिन का अनशन तोड़ दिया था। पूरे देश में पहली बार इतना बड़ा आंदोलन होने के बाद, देश की करोड़ों जनता के रास्ते पर उतरने के बाद भ्रष्टाचार को रोकने वाला कानून लोकतंत्र के मार्ग से आया व मा. महामहिम राष्ट्रपति जी ने 1 जनवरी 2014 को इस कानून पर हस्ताक्षर किए।

उस समय जनता को बड़ी आशा उत्पन्न हुई कि, शायद सरकार बदलने के बाद सचमुच भ्रष्टाचारमुक्त भारत निर्माण हो कर लोकपाल के आधार पर अच्छे दिन आएगें। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं दिख रहा।[5] इस तरह अपनी कार्यवाही में अन्ना ने सरकार को लगातार पत्राचार किया मगर उन्हें कोई जवाब नहीं मिला। अतः अन्ना ने एक बार फिर 23 मार्च 2018 को दिल्ली में 7 दिवसीय अनशन कर आन्दोलन किया। जिसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखकर पूर्व सूचित किया। इस आन्दोलन की प्रमुख बातें निम्न हैं[6]–

1. हमारे देश को कृषि प्रधान देश कहते हैं। 65 प्रतिशत आबादी कृषि पर निर्भर है। लेकिन आजादी के बाद आज तक कृषि और किसानों के बारे में सभी सरकारों ने गलत नीति अपनाई। इस कारण आज किसानों की हालत गंभीर है। लाखों किसानों ने आत्महत्या की है, यह हमारे कृषि प्रधान देश के लिए बहुत ही शर्मनाम बात है। 'माल खाए मदारी नाच करे बंदर' ऐसी किसानों की स्थिति है। कृषि उपज को लागत के खर्चे पर आधारित जब तक सही दाम नहीं मिलता तब तक किसानों को राहत नहीं मिलेगी। कृषि मूल्य आयोग की कृषि उपज के दाम निश्चित करने की नीति सही नहीं है। केन्द्र सरकार की ओर से कृषि मूल्य आयोग के अधिकार में अनावश्यक हस्तक्षेप किया जाता है। इसलिए राज्य और केन्द्रीय कृषि मूल्य आयोग को चुनाव आयोग के बराबर संवैधानिक स्थान तथा सम्पूर्ण स्वायत्तता प्रदान करना जरूरी है। ताकि सरकार का हस्तक्षेप ना रहे। कृषि मूल्य निश्चित करने के लिए देश के अनुभवी विशेषज्ञ किसान आयोग में हों। कृषि उपज मूल्य के साथ कृषि बिक्री निश्चित करना जरूरी है। सही बिक्री मूल्य ना मिलने पर उसकी क्षतिपूर्ति सरकार द्वारा करने का प्रावधान कानून में हो। कृषि कर्जे पर गैरकानूनी तरीके से चक्रवृद्धि ब्याज वसूला जाता हैं। औद्योगिक क्षेत्र की तुलना में कृषि क्षेत्र के लिए निवेश नहीं बढ़ाया जाता। सिर्फ कृषि पर निर्भर 60 साल उम्र के किसान और मजदूरों के लिए पेन्शन जैसी कोई भी योजना नहीं हैं। उनको पांच हजार रूपया प्रति माह पेन्शन मिले। आज कृषि बीमा योजना का तरीका ठीक नही है। किसानों की फसल बिमा योजना का लाभ ''व्यक्तिगत'' किसान को मिलना चाहिए। सामूहिक मंडल की तरह से बीमा नहीं करना चाहिए।
2. देश की जनता भी भ्रष्टाचार के कारण तंग आ गयी है। ऐसी स्थिति में भ्रष्टाचार को रोकने वाली एक स्वायत्त व्यवस्था होनी चाहिए, इसलिए देश की जनता ने 2011 से 2013 तक लोकपाल कानून की मांग को लेकर एक शान्तिपूर्ण और ऐतिहासिक आंदोलन किया। लोगो ने इस आंदोलन में अपने प्राण दांव पर लगा दिए। आखिर 3 साल चले इस आंदोलन के कारण 01 जनवरी 2014 को लोकपाल कानून पारित हो गया। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात यह हैं कि, छः साल बाद भी कानून पर अमल नहीं हुआ। अब यह बात स्पष्ट हो चुकी है की, सरकार की लोकपाल कानून लागू करने की मन्शा नहीं है। इतना ही नहीं, किसी भी पार्टी की सरकार हो, वह लोकपाल जैसा भ्रष्टाचार को रोकने वाला कानून नहीं चाहती। इसलिए 2011 से जन आंदोलन के माध्यम से जनता की मांग पर जो कानून बना था, उसमें आवश्यकता के बिना संशोधन कर के कमजोर किया गया है। ऐसे कई मुद्दों के बारे में सरकार के साथ 43 बार पत्राचार किया। लेकिन उसका जवाब तक नहीं मिला। कार्रवाई तो दूर की बात है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा लोकपाल नियुक्ति करने के लिए दो बार फटकार लगाने के बाद भी सरकार लोकपाल नियुक्त नहीं कर रही है।
3. देश में बढ़ते हुए भ्रष्टाचार का मुख्य कारण है, ''मौजूदा चुनाव व्यवस्था''। इस चुनाव व्यवस्था में तुरन्त सुधार की जरूरत है। हमनें कई बार निर्वाचन आयोग और केंन्द्र सरकार के साथ इस बारे में पत्राचार किया है। लेकिन कोई भी निर्णय नहीं हो

रहा हैं। सुधार के लिए नई रीति नहीं अपनाई जा रही है। टोटलाइज़र मशीन का उपयोग ना करने के कारण गोपनीयता भंग होती है। राईट टू रिजेक्ट, राईट टू रिकॉल, उम्मीदवार की फोटो को ही चुनाव चिन्ह का अधिकार देना चाहिए।

ऐसी स्थिति में लोकपाल, लोकायुक्त, किसानों को न्याय और चुनाव सुधार के बारें में सरकार के साथ कई बार पत्राचार किया हैं। लेकिन सरकार कुछ भी नहीं करना चाहती। इसलिए अन्ना ने 23 मार्च 2018 से दिल्ली में अनिश्चितकालीन सत्याग्रह आंदोलन किया। इसके लिए आंदोलन के मुद्दों पर जनजागरण के लिए तीन महिनों से देशभर में यात्रा की अब तक 21 राज्यों में 42 सभाएं की। भ्रष्टाचार, किसानों की समस्याओं के बारे में लोग बहुत ही नाराज़ हैं और काफी संख्या में आंदोलन के साथ जुड़ना चाहते हैं। इस आंदोलन में निम्नलिखित मांगें रखी गईं–

किसानों की समस्याओं का निवारण

1. कृषि उपज को लागत मूल्य के आधार पर उच्चतम मूल्य पर आधारित 50 प्रतिशत बढ़ाकर सही दाम मिले।
2. सिर्फ खेती पर निर्भर 60 साल उम्र के किसान और मजदूरों को प्रतिमाह 5 हजार पेन्शन मिले।
3. कृषि मूल्य आयोग (CACP) को संवैधानिक स्थान और सम्पूर्ण स्वायत्ता प्रदान करे।
4. किसानों के हित के लिए स्वामिनाथन् आयोग की सिफारिशें लागू होनी चाहिए।

लोकपाल लोकायुक्त कानून के बारे में

1. मौजूदा लोकपाल लोकायुक्त कानून पर तुरन्त अमल हो और लोकपाल की नियुक्ति हो।
2. लोकपाल कानून को कमजोर करने वाले धारा 63 और धारा 44में किये गये संशोधन रद्द हो।
3. केन्द्र के लोकपाल के तहत हर राज्य में सक्षम लोकायुक्त कानून लागू हो।

चुनाव सुधार के बारे में

1. बैलेट पेपर पर उम्मीदवार की कलर फोटो ही उसका चुनाव चिन्ह बनाया जाए।
2. वोट की गिनती के लिए टोटलाइज़र मशीन का उपयोग किया जाए।
3. NOTA को ही राईट टू रिजेक्ट (Right to Reject) का अधिकार प्रदान करें।
4. जनता को राईट टू रिकॉल का अधिकार मिले।

उपरोक्त प्रमुख मांगों के साथ आंदोलन की और भी मांगें रही जिनको लेकर रामलीला मैदान में 07 दिन का सत्याग्राही अनशन का सफल संचालन हुआ। सरकार की हठधर्मिता से इस अनशन में मीडिया पूरी तरह से सरकार के नियंत्रण मे ंरही और इसी वजह से आधी जनता को इस आन्दोलन की पूरी जानकारी प्राप्त नहीं हो पाई परन्तु फेसबुक व व्हाट्अप से कार्यकर्ताओं द्वारा सक्रिय सहयोग प्रदान किया गया। प्रमुख मांगों पर पंत प्रधान कार्यालय की ओर से सकारात्मक निर्णय के साथ लिखित आश्वासन मिलने के बाद अन्ना ने अपना आन्दोलन वापस ले लिया। यह आन्दोलन भी पूरी तरह अहिंसा पर आधारित रहा।

निष्कर्ष

वास्तव में अन्ना हजारे का आन्दोलन भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए किया गया और इसी कारण इसे आजादी की दूसरी लड़ाई व अन्ना को आधुनिक युग का गांधी भी कहा जाने लगा। जिनके निम्न शब्द प्रेरणादायी हैं ''बदलाव लाने के लिए दृढ़ इच्छाशक्ति होनी चाहिए। यह उम्मीद सिर्फ शब्दों से नहीं है, मेरा मानना है कि जहां 99 प्रतिशत घोर चारित्रिक पतन और भ्रष्टाचार का बोलबाला है वहाँ चरित्र की कसौटी पर खरे उतर सकें। ऐसे 1 प्रतिशत लोग भी देश का भाग्य बदल सकते हैं।''[7] अतः कहा जा सकता है कि महात्मा गांधी ने आजादी से पूर्व सत्याग्रह की जो लहर चलाई, 21वीं सदी में उसका अनुसरण करते हुए अन्ना हजारे ने जनता में एक नई सोच की ज्योति जगाई। यह जब तक प्रासंगिक व उपयोगी रहेगा जब तक कि समाज में भेदभाव, अन्याय, शोषण, अत्याचार,गरीबी, भ्रष्टाचार आदि सामाजिक बुराईयां व्याप्त हैं। अतः हम स्वीकार कर सकते हैं कि अन्ना हजारे ने 21वीं सदी में अभूतपूर्व कार्य करके अहिंसक क्रांति के सार्वभौमिक अस्त्र के रूप में सत्याग्रह को पुनः उपयोगी सिद्ध कर दिया।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. *चौधरी देव प्रकाश; लोकनायक अन्ना हजारे और जनलोकपाल बिल, जीवन परिचय व चुने हुऐ चित्रों साहित; हिन्द पॉकेट बुक्स; नई दिल्ली; 2011; पृ. 5*
2. *You Tube; Episode 4; अनुभव के बोल ; कार्यकर्ता संदेश Published on 17 Dec. 2017.*
3. *You Tube; Episode 5: युवा शक्ति राष्ट्रशक्ति; Published on 24 Dec. 2017.*
4. *ठाकुर प्रदीप, राणा पूजा; जननायक अन्ना हजारे; प्रभात प्रकाशन; दिल्ली; 2012*
5. *अन्ना हजारे का सम्माननीय नरेन्द्र मोदी जी (प्रधानमंत्री) को लिखा पत्र; 1 जनवरी 2015.*
6. *खान शमीम ;महान् सुधारक अन्ना हजारे; हिन्द पॉकेट बुक्स; नई दिल्ली, 2013; पृ.51.*